न्यूज़ टुडे

संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास (UNCTAD) ने 'ग्लोबल ट्रेड अपडेट ऑन मोबिलाइजिंग ट्रेड टू कर्ब प्लास्टिक पॉल्यूशन' जारी किया

यह अपडेट उस समय पर जारी किया गया है, जब **जेनेवा में 'संयुक्त राष्ट्र प्लास्टिक संधि'** पर चर्चा चल रही है।

अपडेट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **वैश्विक प्लास्टिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि:** यह मुख्य रूप से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के मामले में देखने को मिल रहा है, जो **1950 के 2 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) से बढ़कर 2022 में 436 MMT** हो गया।
  - इसमें से केवल **10% प्लास्टिक का पुनर्चक्रण** होता है और **75% से अधिक कचरे** के रूप में चला जाता है।
- **बढ़ता प्लास्टिक व्यापार:** 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार **उत्पादित 78%** से अधिक प्लास्टिक का व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया गया।
- **अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का अभाव:** इस संबंध में **जैव विविधता** (जैविक विविधता अभिसमय) और **जलवायु परिवर्तन** (पेरिस समझौते) की तरह कोई समझौता मौजूद नहीं है।
- **अप्रयुक्त क्षमता: जैव आधारित और कम्पोस्टेबल प्लास्टिक** कई देशों में उपलब्ध है, लेकिन **वैश्विक प्लास्टिक उत्पादन में इनकी हिस्सेदारी केवल 1.5%** ही है।
- **नीतिगत मुद्दे:** पिछले 30 वर्षों में **प्लास्टिक और रबड़ उत्पादों पर टैरिफ 34% से घटकर 7.2%** हो गया है। इसके विपरीत **बांस, कागज जैसे वैकल्पिक उत्पादों पर टैरिफ लगभग 14.4%** बना हुआ है।

प्लास्टिक और ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस: प्रदूषण, जैव विविधता की हानि और जलवायु परिवर्तन

- **वन्यजीवों पर प्रभाव:** प्लास्टिक प्रदूषण 1,400 से अधिक वन्यजीव प्रजातियों को हानि पहुंचाता है।
- **ग्रीनहाउस गैसें:** 98% प्लास्टिक का उत्पादन जीवाश्म ईंधन से होता है।
- **सीमा पार प्रभाव: प्लास्टिक कचरा भूमि और समुद्री** पारिस्थितिकी-तंत्रों से होता हुआ देशों की सीमाओं को पार कर जाता है।
- **असमान प्रभाव:** यह संकट लघु द्वीपीय विकासशील देशों और विकासशील देशों को असमान रूप से प्रभावित करता है।

आगे की राह

- **क्षेत्रक आधारित सुधार:** एकल उपयोग वाले प्लास्टिक की समस्या से निपटने के लिए उस पर लक्षित प्रतिबंध लगाने चाहिए। जैसे- कर लगाना और बेहतर अनुसंधान एवं उत्पाद डिजाइन की मदद से टिकाऊ प्लास्टिक को बढ़ावा देना (जैसे सड़क निर्माण के लिए प्लास्टिक)।
- **प्लास्टिक डेटा सिस्टम को मजबूत करना:** प्लास्टिक की उपयोग अवधि में **पारदर्शिता और तुलनीयता** में सुधार करना चाहिए।
- **संबंधित फ्रेमवर्क में तालमेल सुनिश्चित करना:** जैसे **बेसल, रॉटरडैम और स्टॉकहोम (BRS)** कन्वेंशन।

प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के उपाय

- **भारत: प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (PWM) नियम, 2016 और इसके प्रमुख संशोधन**
  - **PWM संशोधन नियम, 2021:** यह एकल उपयोग वाले प्लास्टिक (SUP) पर प्रतिबंध लगाता है, जो जुलाई 2022 से प्रभावी है।
  - **PWM संशोधन नियम, 2022:** प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) को लागू किया गया है।
  - **PWM संशोधन नियम, 2024:** इसमें शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों की जिम्मेदारियों को निर्धारित किया गया है।
- **वैश्विक पहलें: MARPOL कन्वेंशन** का अनुलग्नक V; **ब्रिजटाउन कोवेनेंट** आदि।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचा कर राजस्व अर्जित नहीं किया जा सकता

सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी **विशेष अनुमति याचिका की सुनवाई** के दौरान की थी। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने **हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार की उस अधिसूचना को बरकरार रखा, जिसमें हरित क्षेत्र घोषित स्थलों पर सभी प्रकार के निजी निर्माण कार्यों पर रोक** लगाई गई थी।

इस क्षेत्र के समक्ष मौजूद प्रमुख मुद्दे: सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां

- **अवसंरचना का विकास: कनेक्टिविटी और पर्यटन (प्राकृतिक एवं धार्मिक दोनों)** के दोहरे लक्ष्यों के चलते **चार लेन वाले राजमार्ग, अस्थिर ढलानों पर निजी अवसंरचना** जैसी परियोजनाओं का प्रसार हो रहा है।
- **जलविद्युत का विस्तार: अनियंत्रित निर्माण कार्यों** का जलीय जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उदाहरण के लिए- **सतलज नदी एक छोटी नदी (Rivulet)** में तब्दील हो गई है।
- **बढ़ती सुभेद्यता:** अनियंत्रित और अविनियमित गतिविधियों ने **मिट्टी की संरचना एवं पकड़ को कमजोर** कर दिया है। इससे आपदाओं के प्रति सुभेद्यता बढ़ गई है। उदाहरण के लिए- **कुल्लू (2025), मंडी (2025), शिमला (2023) आदि।**
- **हिमनदों का पीछे हटना या पिघलना: लाहौल स्पीति** में सबसे बड़े **बारा शिगरी ग्लेशियर का आकार लगभग 2-2.5 किलोमीटर** तक कम हो गया है।
- **कानूनी बाधाएं: अपशिष्ट संग्रहण और प्रबंधन** के लिए नगरपालिकाओं को विनियमित करने वाले कानून **अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016** के उद्देश्यों के अनुरूप नहीं हैं।
- **प्रशासनिक मुद्दे: राज्य में विविध स्थानों पर पहले स्थापित वन रक्षक चौकियों को हटाने** से वृक्षों की अवैध कटाई की समस्या और बढ़ गई है।

इस समस्या के प्रभावी समाधान के तरीके

- **उचित निगरानी और सरकारी जवाबदेही: ग्रीन टैक्स फंड** (विशेष दर्जा प्राप्त जिलों पर लगाया गया) को असंबंधित उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाने से रोकना।
- **अवैध कार्यों को रोकना:** खनन और उत्खनन जैसे कार्यों को रोकने के लिए **वैकल्पिक आय के स्रोत** उपलब्ध कराना। साथ ही, **पर्यावरणीय विनियमों को प्रभावी रूप से लागू** करना।
- **विशेषज्ञों की राय को अपनाना:** कोई भी **विकासात्मक परियोजना शुरू करने से पहले भूवैज्ञानिकों, पर्यावरण संबंधी विशेषज्ञों और स्थानीय लोगों** की राय ली जानी चाहिए।
- **संधारणीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन:** इसमें स्थानीय अपशिष्ट पृथक्करण, सामुदायिक जागरूकता और विकेन्द्रीकृत प्रसंस्करण जैसे उपाय किए जाने चाहिए।

26 तकनीकी कंपनियों ने यूरोपीय आयोग के 'जनरल-पर्पज AI (GPAI) कोड ऑफ प्रैक्टिस' पर हस्ताक्षर किए

अमेज़न, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और IBM सहित 26 प्रमुख तकनीकी कंपनियों ने स्वेच्छा से यूरोपीय आयोग के 'जनरल-पर्पज AI (GPAI) कोड ऑफ प्रैक्टिस' पर हस्ताक्षर किए हैं।

- यह संहिता **स्वैच्छिक** है, लेकिन इस पर हस्ताक्षर करने वालों को कानूनी स्पष्टता मिल सकती है और **EU के आगामी AI अधिनियम के बाध्यकारी प्रावधानों के अनुसार अनुकूलन करना** उनके लिए आसान हो सकता है। यह अधिनियम अगले **दो वर्षों** में लागू हो जाएगा।
- इस संहिता में **तीन** अध्याय हैं: **पारदर्शिता, कॉपीराइट और बचाव एवं सुरक्षा।**
- **यूरोपीय संघ AI अधिनियम के बारे में**
  - **यूरोपीय संघ AI अधिनियम** दुनिया का **पहला व्यापक AI कानून** है।
  - इस अधिनियम में विनियमन के लिए **जोखिम-आधारित दृष्टिकोण** अपनाया गया है। साथ ही, यह AI से उत्पन्न जोखिम के अनुसार उस पर **अलग-अलग नियम लागू** करता है।
  - यह AI प्रदाताओं के लिए **स्पष्ट जवाबदेही** सुनिश्चित करता है। इसका **अपनी मूल्य श्रृंखलाओं और थर्ड पार्टी जोखिम प्रबंधन के माध्यम से जनरेटिव AI का उपयोग करने वाले व्यवसायों** पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।
  - **जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (GDPR)** की तरह, EU AI अधिनियम के भी एक **वैश्विक मानक** बनने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में जीवन पर AI के नकारात्मक की बजाय सकारात्मक प्रभाव सुनिश्चित करना है।
  - **अनुपालन:** नियमों का पालन न करने पर **काफी जुर्माना** लगाया जा सकता है, जो कंपनी के **वैश्विक टर्नओवर का 7%** तक हो सकता है।
- **कंपनियों द्वारा उठाई गई प्रमुख चिंताएं**
  - कंपनियों का मानना है कि यह कोड **मॉडल डेवलपर्स के लिए कानूनी अस्पष्टताएं** पैदा करता है और आगामी AI अधिनियम के दायरे से परे है।
  - **विनियामक जटिलता और प्रशासनिक बोझ** से यूरोप की AI प्रतिस्पर्धात्मकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

भारत में AI विनियमन

- भारत में **AI को विशेष रूप से विनियमित** करने वाला कोई कानून नहीं है।
- इसकी बजाय, भारत ने AI के विकास और उपयोग का समर्थन करने के लिए एक **सरकारी मिशन** पर ध्यान केंद्रित किया है।
- **इंडियाAI मिशन** का उद्देश्य एक **अभिनव, कुशल, सुरक्षित और विश्वसनीय AI इकोसिस्टम** को बढ़ावा देना है।

एक अध्ययन में हिमालय के बादलों में विषाक्त भारी धातुएं पाई गई

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत **कोलकाता स्थित बोस इंस्टीट्यूट** के एक अध्ययन ने **"स्वच्छ" पर्वतीय वर्षा की धारणा** को मिथक सिद्ध कर दिया है।

अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **विषाक्त भारी धातुएं:** भारत में निचली स्तर की बादल-पट्टी (low-level clouds) भारी विषाक्त धातुओं से प्रदूषित पाई गई हैं।
- **प्रमुख प्रदूषक: पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय क्षेत्र** के वर्षा रहित बादलों में **कैडमियम (Cd), कॉपर (Cu), जिंक (Zn), और क्रोमियम (Cr)** पाए गए हैं।
- **पूर्वी हिमालय में अधिक प्रदूषण:** यहां **1.5 गुना अधिक प्रदूषण और 40–60% अधिक विषाक्त धातु भार** पाया गया है।
- **स्वास्थ्य संबंधी जोखिम:**
  - बच्चों में वयस्कों की तुलना में **30% अधिक स्वास्थ्य जोखिम** है।
  - बादलों में घुला हुआ **क्रोमियम कैंसरकारी बीमारियों का खतरा** बढ़ाता है।
- **प्रदूषण के प्रमुख कारण:** पहाड़ी क्षेत्रों से **वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन,** निकटवर्ती निचले इलाकों से **औद्योगिक प्रदूषण,** आदि।

हिमालयी क्षेत्रों में प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए उठाए गए प्रमुख कदम

- **हिमालयी पारिस्थितिकी-तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन:** हिमालयी क्षेत्रों की संवेदनशीलता का वैज्ञानिक मूल्यांकन करना।
- **SECURE हिमालय परियोजना: "सतत विकास के लिए वन्यजीव संरक्षण और अपराध रोकथाम पर वैश्विक साझेदारी"** के अंतर्गत।
  - **वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF)** द्वारा वित्त पोषित।
- **हिमालयी राज्य प्रादेशिक परिषद: नीति आयोग** द्वारा स्थापित।

भारी धातुएं और भारी धातु प्रदूषण के बारे में

- **भारी धातुओं की विशेषताएं:** इनका **परमाणु भार 63.5 से 200.6** के बीच होता है और **घनत्व 4000 किलोग्राम/ घन मीटर से अधिक** होता है। उदाहरण के लिए- **जिंक, कॉपर, कैडमियम, कोबाल्ट, आर्सेनिक, सीसा, क्रोमियम** आदि।
  - **आवर्त सारणी** में 50 से अधिक तत्व भारी धातुओं की श्रेणी में आते हैं, जिनमें लगभग **17 अत्यंत घातक** मानी जाती हैं।
- **उत्पत्ति:** ये धातुएं **प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सतह और भूगर्भ** में पाई जाती हैं, जो पृथ्वी के निर्माण काल से ही मौजूद हैं।
- **प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कारक: मानवजनित गतिविधियां,** विशेषकर धातु-आधारित औद्योगिक क्रियाएं, जैसे:
  - स्मेल्टिंग (धातु गलाना),
  - खनन,
  - फाउंड्री उद्योग,
  - धातुओं का रिसाव (Leaching) आदि।

भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव, 2025

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने **17वें उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीख** की घोषणा कर दी है। यह चुनाव भारत की राजनीतिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

उपराष्ट्रपति से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- **कार्यकाल और रिक्ति:**
  - अनुच्छेद 67 के अनुसार, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल **पांच वर्ष** का होता है।
  - अनुच्छेद 68(2) के अनुसार, पद रिक्त होने पर **जल्द से जल्द चुनाव कराना** अनिवार्य है।
- **निर्वाचक मंडल:**
  - इसमें **लोक सभा और राज्य सभा दोनों के सदस्य** (निर्वाचित और मनोनीत) शामिल होते हैं।
    - वर्तमान में, दोनों सदनों के कुल सदस्यों की संख्या 782 है।
- **मतदान प्रणाली:**
  - अनुच्छेद 66(1) के तहत, चुनाव **एकल संक्रमणीय मत** के माध्यम से **आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और गुप्त मतदान** द्वारा होता है।
- **प्राधिकार:**
  - अनुच्छेद 324 तथा **राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952** के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए ECI चुनाव का संचालन करता है।

पात्रता

कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए तब तक नहीं चुना जा सकता जब तक कि वह:

- भारत का नागरिक न हो।
- 35 वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो।
- राज्य सभा के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने के लिए योग्य न हो।

उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया

- **नामांकन:**
  - उम्मीदवार को **20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक** की आवश्यकता होती है।
  - **15,000 रुपये जमानत राशि** के रूप में जमा कराना अनिवार्य है।
- **मतदान:**
  - मतदान **संसद भवन** में होता है और इसके लिए **ECI द्वारा प्रदान किए गए विशेष पेन** का उपयोग किया जाता है।
  - **पहली वरीयता का वोट** देना अनिवार्य है।
- **पर्यवेक्षण:**
  - ECI **रिटर्निंग ऑफिसर (राज्य सभा का महासचिव)** और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करता है।

चुनाव में पालन किए जाने वाले प्रमुख सुरक्षा उपाय

- **पार्टी व्हिप की अनुमति नहीं** होती है।
- **गोपनीयता का उल्लंघन या अनधिकृत पेन का उपयोग** करने पर वोट अमान्य हो जाता है।
- **राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 के तहत घूसखोरी या अनुचित प्रभाव** का उपयोग करने पर चुनाव को चुनौती दी जा सकती है।

अन्य सुर्खियां

संयुक्त राष्ट्र-भारत वैश्विक क्षमता निर्माण पहल

भारत ने **एशिया, अफ्रीका और कैरेबियाई देशों** के लिए वैश्विक क्षमता निर्माण पहल के अंतर्गत **संयुक्त राष्ट्र के साथ परियोजनाएं** शुरू की।

वैश्विक क्षमता निर्माण पहल के बारे में

- **उत्पत्ति:** भारत और संयुक्त राष्ट्र ने इसे संयुक्त रूप से सितंबर 2023 में शुरू किया था।
- **उद्देश्य:** **सतत विकास लक्ष्यों** (SDGs) पर प्रगति में तेजी लाने के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से ग्लोबल साउथ के देशों के साथ **भारत के विकास अनुभवों, सर्वोत्तम प्रथाओं और विशेषज्ञता को साझा** करना।

इसे नए **संयुक्त राष्ट्र-भारत SDG देश कोष (UN India SDG Country Fund)** के साथ-साथ **भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (ITEC)** के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (IEPFA)

IEPFA अपना एकीकृत पोर्टल लांच करने के लिए तैयार है। यह एक **एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म** है, जिसे दावा प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा निवेशकों और कंपनियों दोनों के लिए एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाने हेतु डिजाइन किया गया है।

IEPFA के बारे में:

- **स्थापना:** इसे 2016 में, कंपनी अधिनियम, 2013 की **धारा 125 की उप-धारा 5** के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया है।
- कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय **के अधीन कार्यरत।**
- **कार्य:**
  - निवेशक शिक्षा संरक्षण कोष (IEPF) का प्रशासन;
  - निवेशकों को शेयर, दावा न किए गए लाभांश, परिपक्व जमा राशि/ डिबेंचर आदि रिफंड करना,
  - निवेशकों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देना और निवेशकों के हितों की रक्षा करना।
  - देश भर में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना।
- **शुरू की गई पहलें:** निवेशक दीदी, निवेशक पंचायत और निवेशक शिविर।

नए UPI नियम

नए UPI नियम **1 अगस्त** से लागू हो गए।

- यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) एक **त्वरित रियल टाइम भुगतान** प्रणाली है। इसे **भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI)** द्वारा मोबाइल फोन के माध्यम से इंटर-बैंक लेन-देन की सुविधा के लिए विकसित किया गया है।

नए नियमों के बारे में

- नए नियम **Google Pay, PhonePe या Paytm जैसे सभी भुगतान सेवा प्रदाताओं** पर लागू होंगे।
- नये नियम **बैंक बैलेंस चेक करना, ऑटोपेमेंट प्रोसेसिंग और बैंक डिटेल्स को एक्सेस करने जैसी गतिविधियों** को विनियमित करेंगे।
- **लिस्ट अकाउंट:** अब यूजर्स अपने मोबाइल नंबर से जुड़े बैंक खातों की सूची को किसी खास अकाउंट प्रोवाइडर के माध्यम से देख सकते हैं। इसे "List Account API" के उपयोग पर लगाया गया प्रतिबंध भी कहा जा रहा है।

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB)

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) ने आधार-आधारित चेहरा प्रमाणीकरण शुरू किया है।

- इसे **UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण)** के फ्रेमवर्क के तहत विकसित किया गया है।
- यह ग्राहकों को चेहरे की पहचान के माध्यम से बैंकिंग लेन-देन करने में सक्षम बनाएगा। इससे **फिंगरप्रिंट या OTP की आवश्यकता समाप्त** हो जाएगी। इस प्रकार समावेशी बैंकिंग, तीव्र लेन-देन आदि संभव हो जाएंगे।

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के बारे में

- **उत्पत्ति:** 2018 में।
- **मंत्रालय:** डाक विभाग, **संचार मंत्रालय।**
- **उद्देश्य:** प्रत्येक नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए **व्यापक डाक नेटवर्क** का लाभ उठाना।
- **इक्विटी:** इसका 100% स्वामित्व भारत सरकार के पास है।

प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)

प्रधान मंत्री ने **पीएम-किसान योजना की 20वीं किस्त जारी की**।

पीएम-किसान के बारे में

- **प्रारंभ:** 2019 में।
- **प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक की योजना।
- **मंत्रालय:** कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
- **उद्देश्य:** उन सभी **भूमि-धारक किसान परिवारों** को आय सहायता प्रदान करना, जिनके नाम पर कृषि योग्य भूमि है।
- **अपात्रता संबंधी मानदंड:** वे सभी **संस्थागत भूमि धारक और किसान परिवार जिनके सदस्य पूर्व एवं वर्तमान में संवैधानिक पदों पर आसीन हैं**; केंद्र/ राज्य सरकारों के कर्मचारी; डॉक्टर, इंजीनियर जैसे पेशेवर आदि।
- **वित्तीय लाभ: प्रति परिवार प्रति वर्ष 6000 रुपये, जो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)** के माध्यम से हर चार महीने में 2000 रुपये की तीन समान किस्तों में मिलते हैं।

अल्पाइन कस्तूरी मृग

केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (CZA) की एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि संरक्षण प्रजनन के लिए **अल्पाइन कस्तूरी मृग** की पहचान में गड़बड़ी हुई है। इसे गलती से **हिमालयी कस्तूरी मृग** समझ लिया गया था।

अल्पाइन कस्तूरी मृग के बारे में

- **पर्यावास:** यह **समशीतोष्ण जलवायु युक्त अल्पाइन घास के मैदान; झाड़ीदार क्षेत्र; तथा बर्च, ब्लू पाइन और देवदार वृक्षों के वनों में लगभग** समुद्र तल से **3,000–4,500 मीटर की ऊंचाई** पर पाया जाता है।
  - यह **भारत, नेपाल, भूटान और चीन की स्थानिक प्रजाति** है।
- **मुख्य विशेषताएं:** यह एक **एकाकी और शर्मिला** जानवर है। यह **शाकाहारी** होता है। इसकी **गर्भावस्था अवधि 180-200 दिन** होती है।
  - **कस्तूरी मृग** एक अनोखा जीव है, जिसके लंबे दांत (Fangs) होते हैं, लेकिन **सींग और पित्ताशय** नहीं होता।
- **खतरा:** इसका शिकार **मस्कपॉड/ कस्तूरी** के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग **इत्र और पारंपरिक दवाओं** में होता है।
- **संरक्षण स्थिति: एनडेंजर्ड** (IUCN); **अनुसूची-I** (वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972)।

राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त उत्कृष्टता केंद्र

खान मंत्रालय ने **NCMM के तहत 7 संस्थानों को उत्कृष्टता केंद्र (CoE)** के रूप में मान्यता दी है।

- **इनमें शामिल हैं:**
  - IIT बॉम्बे;
  - IIT हैदराबाद;
  - IIT - ISM धनबाद;
  - IIT रुड़की;
  - CSIR – IMMT, भुवनेश्वर;
  - CSIR – NML, जमशेदपुर; तथा
  - NFTDC, हैदराबाद।
- ये उत्कृष्टता केंद्र **हब और स्पोक मॉडल** के रूप में काम करेंगे तथा महत्वपूर्ण खनिजों में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देंगे।
- उल्लेखनीय है कि **सोलर पैनल्स, पवन टर्बाइन, इलेक्ट्रिक वाहन और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों जैसी स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों** के लिए महत्वपूर्ण खनिज आवश्यक हैं।
- इन संसाधनों की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु, भारत ने इनकी **दीर्घकालिक उपलब्धता और प्रसंस्करण** सुनिश्चित करने के लिए NCMM को लॉन्च किया था।

71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

वर्ष 2023 के लिए विविध श्रेणियों में **71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा** की गई।

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में

- **स्थापना:** 1954 में।
- **उद्देश्य:** ऐसी फिल्मों को सम्मानित करना, जो भारतीय सिनेमा और संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।
- **प्रदानकर्ता:** भारत के राष्ट्रपति (वार्षिक)।

वर्ष 2023 के लिए पुरस्कार

- **सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म:** 12th फेल।
- **सर्वश्रेष्ठ अभिनेता:** शाहरुख खान (जवान) और विक्रांत मैसी (12th फेल)।
- **सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री:** रानी मुखर्जी (मिसेज चटर्जी बनाम नॉर्वे)।
- **सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म:** गिद्ध द स्कैवेंजर।
- **सर्वश्रेष्ठ नॉन-फीचर फिल्म:** फ्लावरिंग मैन।

लैंड्रेस

ओडिशा ने लैंड्रेसेज़ को औपचारिक बीज प्रणाली में शामिल करने के लिए एक नया रोडमैप प्रस्तुत किया।

लैंड्रेस के बारे में

- **अर्थ:** लैंड्रेस या पारंपरिक बीज किस्में **आनुवंशिक रूप से विविध फसल किस्में** हैं। ये कई पीढ़ियों से **प्राकृतिक अनुकूलन और मानव चयन** के संयोजन से, किसानों की पारंपरिक प्रथाओं के साथ विकसित हुई हैं।
- **महत्त्व:** ये स्थानीय कृषि-जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं। इनमें **जलवायु लचीलापन, उपज स्थिरता, कीट सहिष्णुता और पोषण से भरपूर** होने जैसे विशेष गुण होते हैं।
- **खतरा:** कृषि पद्धतियों में बदलाव, भूमि उपयोग में परिवर्तन और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग के कारण इनका **आनुवंशिक क्षरण** हो रहा है।